प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 04/2023

अनवान : –

1. राजाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री माडूराम अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/6/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 576/484 की भूमि में प्रार्थी का नाम राजेराम पुत्र रामप्रताप दर्ज है जो कि गलत है। उक्त नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में राजाराम पुत्र रामप्रताप है। अतः प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम राजस्व रिकार्ड में राजेराम पुत्र रामप्रताप के स्थान पर राजाराम पुत्र रामप्रताप करवाना चाहता है।

इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सही नाम तस्लीम कर लेवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम राजाराम दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर के पत्रांक 6784 दिनांक 05.06.23 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी के दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजाराम दर्ज है। नाम दुरूस्ती के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का सही नाम राजाराम है [illegible] राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न [illegible] परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया जाकर प्रमाण पत्र पेश किया गया।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 576/484 में प्रार्थी के नाम मुश्तरका खाता में भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी अपना नाम राजेराम पुत्र रामप्रताप के स्थान पर राजाराम पुत्र रामप्रताप दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड व सरंपच ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र रामप्रताप अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी की तस्दीक तथा तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 576/484 की भूमि प्रार्थी के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **प्रार्थी राजेराम पुत्र रामप्रताप के स्थान पर सही नाम राजाराम पुत्र रामप्रताप किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजेराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजेराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम राजेराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को मेरे प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प :मलवानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट–मलवानी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0) कैम्प :–मलवानी**

क्रमांक : कैम्प / सशोधन / 2023 / 1111 दिनांक : 28/8/23

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 04 / 2023 अनवानी राजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

अनवान : –

1. राजाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 576 / 484 की भूमि प्रार्थी के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **प्रार्थी राजेराम पुत्र रामप्रताप के स्थान पर सही नाम राजाराम पुत्र रामप्रताप किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजेराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजेराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम राजेराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़)
कैम्प : मलवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:50 IST
Reason: SelfAttested